खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) आरक्षण नीति के अनुसार किसी बड़ी कंपनी को, इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी शामिल हैं, औद्योगिक लाइसेंस लिए बिना तथा न्यूनतम 75% निर्यात प्रभार स्वीकार किए बिना केवल लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्माण करने की अनुमति नहीं है। अगस्त, 1991 से अब तक सरकार ने किसी मद को अनारक्षित करने का निर्णय नहीं लिया है ।

Regional Ayurvedic Research Centre at Itanagar Arunachal Pradesh

2113. SHRI NYODEK YONSGAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there exists one Regional Ayurvedic Research Centre at Itanagar, the Capital of Arunachal Pradesh;

(b) if so, what are the functions of this institution;

(c) whether the institution serves any purpose to the antire North Eastern region; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The Regional Ayurvedic Research Centre, Itanagar is engaged in clinical activitiesc including Health care Research, Survey of Medical Plants and promotion of health awareness among the tribals. The Centre has a ten bedded indoor hospitals which provides OPD facilities apart from undertaking Research in Ayurveda. A demonstration by bherb garden also functions under this Centre.

This Centre serves Itanagar and its surrounding areas. However two tribal Health Care Research Centres of the CCRAS are functioning of Imphal and Zero.

Guidelines for admiting AIDS patients

2114. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have given any specific instructions or guidelines on admission of AIDS affected patiens; and

(a) whether Government will issue specific instructions to all the State-owned hospitals, and Municipal hospitals to admit AIDS affected patients without any delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) and (b) Yes, Sir. Appropriate treatment for opportunistic ailments is available to AIDS patients at Government Hospitals without any discriminaiton and delay. Government have also requested the State Governments to ensure timely and non-discriminatory treatment to AIDS patients.

AIDS victims in India

2115. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India now tops the world in HIV infection cases and Asia in the number of AIDS cases according to a report by the Indian Health Organisattion; and

(b) if so, what preventive steps are being taken by Government to contain the spread of AIDS in country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) Any estimation/projection

of HIV Infection either in India or elsewhere is at best a guesstimate. No categorical statement can be made in this respect.

(b) A comprehensive National AIDS clinical management of HIV/AIDS control of STDS, Surveillance and better onal use of blood and blood products, Control Programme is currently being mass education, Blood Safety and rational use of blood and blood products, control of STDs, Surveillance and beiter clinical management of HIV/AIDS cases.

सौराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधालय

2116. **श्री त्रिभुवनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत, कितने आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं ;

(ख) क्या सरकार वहां और अधिक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका जिले-वार ब्यौरा क्या है; और इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) (क) शून्य ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने हेतु मानदंड

2117. **श्री गोविन्दराव आदिक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाती है ।

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने आदिवासी क्षेत्रों के बारे में इस मानदण्ड में ढील दिए जाने की मांग की; है

(ग) यदि हां, तो ढील देने संबंधी प्राप्त हुए अनुरोध पत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन केन्द्रों हेतु कब तक अनुमति प्रदान की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना निम्नलिखित जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार की जाती है :—

	जनसंख्या मैदानी क्षेत्र	मानदण्ड पहाड़ी एवं जनजातिय क्षेत्र
उप-केन्द्र	5,000	3,000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000

(ख) से (घ) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने में राज्यों को छूट दी जाती है जो भौगोलिक एवं जनसंख्या पर विचार, वित्तीय संसाधनों, कार्मिक शक्ति की उपलब्धतता आदि पर निर्भर करती है । फिर भी नए केन्द्र खोलने में कठिन तथा अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों तथा समुदायों की आवश्यकताओं को प्रथम प्राथमिकता दी जा रही है।